पत्र संख्या-कम्प्यूटर-NIC कम्प्यूटराइजेशन(S/W)-(2011-12) / 724 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(आई0टी0-अनुभाग)
दिनॉक // लखनऊ // ~~नवम्बर~~, 02-12-2011

1- **समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।**

2- **समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।**

प्रदेश के पंजीकृत व्यापारियों द्वारा मैनुअली तथा आन लाइन दाखिल किये जाने वाले रिटर्नो में PAN नम्बर अंकित करना अनिवार्य कर दिये जाने के पश्चात अधिकांश व्यापारियों द्वारा रिटर्नो के माध्यम से विभाग को PAN नम्बर उपलब्ध कराये गये हैं।

2- इनमें से ई-रिटर्न दाखिल करने वाले व्यापारियों के PAN नम्बरों की जॉच NSDL के माध्यम से कराने पर पाया गया कि कुल पंजीकृत व्यापारियों मे से 384978 व्यापारियों द्वारा PAN नम्बर या तो उपलब्ध नही कराये गये है या उनका Structure Valid नही है। उपलब्ध PAN नम्बरों में से 27057 व्यापारियों के PAN नम्बर CBDT डाटाबेस में नही पाये गये हैं तथा 47574 व्यापारियों के PAN नम्बरं में उपलब्ध नाम CBDT डाटाबेस से Match नही हो पा रहे है। अतः आवश्यक है कि इन व्यापारियों के PAN नम्बर सही करा लिये जाय तथा जिन व्यापारियों द्वारा अभी तक अपने PAN नम्बर ई-रिटर्न के माध्यम से अथवा अन्यथा उपलब्ध नही कराये गये हैं उनसे भी PAN नम्बर प्राप्त कर लिये जाय। ऐसे PAN नम्बरों की सूची विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है।

3- ऐसे व्यापारी जो ई-रिटर्न दाखिल कर रहे हैं वे स्वयं विभागीय वेबसाइट http;//comtax.up.nic.in पर उपलब्ध " Update PAN No. Here " में जाकर अपने PAN नम्बर को अपडेट कर सकते हैं। उक्त के अतिरिक्त ऐसे व्यापारी जो मैनुअली रिटर्न दाखिल करते हैं वे अपने कर निर्धारण अधिकारी को अपना सही PAN नम्बर PAN Card की स्व-प्रमाणित छाया प्रति के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। कर निर्धारण अधिकारी ऐसे PAN नम्बरों के सत्यापन के पश्चात इनकी सूची, जिसमें केवल व्यापारी के TIN नम्बर व PAN नम्बर का विवरण होगा हार्ड तथा Softcopy में पंजीयन प्रकोष्ठ के प्रभारी को उपलब्ध करायेगें जो TIN Updation की वर्तमान में चल रही प्रक्रिया के अनुरुप इन PAN नम्बरों को अपने Login तथा पासवर्ड से जाकर आन लाइन अपडेट करेगें।

4- उक्त कार्यवाही उच्च प्राथमिकता के आधार पर की जानी है जिससे दिनॉक 31-12-2011 तक विभाग में पंजीकृत समस्त व्यापारियों के सही PAN नम्बर विभाग को प्राप्त हो जाय। अतः कृपया उक्त व्यवस्था का व्यापारिक एवं अधिवक्ता संघों के बीच व्यापक प्रचार प्रसार करने का कष्ट करें। साथ ही कृपया प्रत्येक मण्डल से सम्बन्धित गलत / फर्जी PAN नम्बरों की सूची वेबसाइट से डाउन लोड करके मण्डल कार्यालय के सुविधा केन्द्र पर लगवाना सुनिश्चित करें। यह सूची खण्ड के प्रत्येक कर निर्धारण अधिकारी के पास भी रहनी आवश्यक होगी।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अपने अधीनस्थ खण्डाधिकारियों को अपने स्तर से निदेर्शित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

2/12

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।